ऑन लाईन नं. RCMS 2024/149

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुमित कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 07 / 2025

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी 9 एल एल जी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। **अपीलार्थी**

बनाम

1. सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये अध्यक्ष।
2. रेखा चौधरी पत्नी श्री वकील चन्द जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 09 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. जनक कुमार पुत्र श्री धन्ना राज जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 10 सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. अमरजीत सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति तरखान निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर। **रेस्पोडेन्टस**

उपस्थित :–
1.श्री बलकरण सिंह बराड़ , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्रीमती मंजु गप्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2,4
3.श्री ऋषिपाल जोशी रेस्पोडेन्ट संख्या–3

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 विधि विरूद्व तरीके से स्वीकृत किया गया , को खारिज करने बाबत।

:: आदेश :: **दिनांक :–26.05.2026**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ वाकयात व पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया , जो खारिज होने योग्य है। फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि अपीलांट्स अपील के शीर्षक में वर्णित पते के स्थाई निवासी है तथा पेशे से काश्तकार है। अपीलांट्स सादुलशहर क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में समाज के हित में व शिक्षा उत्थान के कार्यो को पिछले कई वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा शिक्षा हित में वर्ष 2006 में चक 10 के.आर.डब्ल्यू. के मुरब्बा नम्बर 31 व 39 की कुल 0.620 हैक्टेयर कृषि भूमि व अपीलांट संख्या 3 द्वारा 0.348 हैक्टर कृषि भूमि सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रन्यास को निःशुल्क रोबरू गवाहान दी गई जिसकी कोई भी राशि अपीलांटगण द्वारा ट्रस्ट से प्राप्त नहीं की गई।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ट्रस्ट सादुलशहर शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष महावीर भादू द्वारा अविधिक तरीके से दिनांक 05.04.2015 को प्रस्ताव संख्या 3 डालकर यह कहते हुए कि ट्रस्ट के नाम की चक 10 के.आर.डब्ल्यू के खाता संख्या 94/68 के पत्थर नम्बर 79/129 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1/2 में 0.228 हैक्टर व किला नम्बर 10 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 11 में 0.164 हैक्टर, पत्थर नम्बर 78/129 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5/2 में 0.228 हैक्टर , किला नम्बर 6 में 0.253 हैक्टर , किला नम्बर 15 में 0.152 हैक्टर कुल 1.278 हैक्टेयर में से 0.886 हैक्टेयर यानि 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा के बेचान हेतु ट्रस्ट के सचिव वकील चन्द पुत्र भागीरथ जाति अग्रवाल निवासी सादुलशहर को अधिकृत किया। प्रस्ताव की कॉपी सलंगन है।

4. यह कि ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष व सचिव वकील चन्द द्वारा ट्रस्ट के नाम की उक्त कृषि भूमि का बेचान सचिव वकील चन्द द्वारा अपनी धर्मपत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के नाम से बैयनामा दिनांक 06.05.2015 को करवाया गया, दूसरा बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को सचिव वकील चन्द द्वारा अपने रिश्तेदार जनक कुमार रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के नाम व तीसर बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को अपने रिश्तश्देदार श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री विकास कुमार के नाम से करवाया गया तथा प्रियंका द्वारा दिनांक 01.02.2022 को उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के नाम से बेचान कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपस में मिलकर ट्रस्ट की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया गया है।

5. यह कि अपीलांटगण को इस बात का ज्ञान फरवरी 2025 में हल्का पटवारी से पता करने पर प्राप्त हुआ, उसके बाद तमाम दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हासिल करने के बाद रेस्पोडेन्टगण से रोबरू पंचायत बात की गई कि आप द्वारा ट्रस्ट की कृषि भूमि का बेचान बिना किसी आवश्यकता के अपने को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के आश्य से अपनी धर्मपत्नी व अन्य रिश्तेदार के नाम से करके ट्रस्ट को करोड़ो रूपये का घाटा पहुंचाया है, तो रेस्पोडेन्ट के द्वारा पंचायत में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे से गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त करवाने बाबत् इन्कार हो गये।

6. यह कि अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 जब हल्का भू –अभिलेख करड़वाला के पास वास्ते निरीक्षण पेश हुआ तो भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 19.08.2015 को **"हल्का पटवारी रिपोर्ट व पटवारी हल्का के साथ 19.08.2015 को मौका निरीक्षण व रजिस्ट्रीयों की प्रकृति तथा दिनांक 28.04.2011 के सर्कूलर के तहत इन्तकाल खारिज योग्य है।"** इसके बाद उक्त अपीलाधीन इन्तकाल ग्राम पंचायत करड़वाला के सरपंच हरदीप कौर के समक्ष दिनांक 06.10.2015 को पेश हुआ। सरपंच द्वारा इन्तकाल स्वीकृत ना कर निर्णय हेतु तहसीलदार महोदय को भिजवाया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी प्रकिया अपनाए, लैण्ड रिकॉर्डस के नियमों का पालन किये अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कर रेस्पोडेन्टगण को लाभ पहुचाया है, इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 खारिज होने योग्य है।

7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुने , बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया है, इसलिए भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि अपीलांटगण सादुलशहर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षा उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के कारण उक्त आदेश से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है, इसलिए कानूनी रूप से अपीलांटगण को अपील करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक है जिसके लिए अलग से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश है।

9. यह कि अपीलांटगण को उक्त अपीलाधीन फैंसले की जानकारी 10 फरवरी 2025 को हल्का पटवारी से प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर हुई है, इससे पूर्व अपीलांटगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

10. यह कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु अपीलांटगण के हक में बाखुबी साबित है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1,2,4 की ओर से मन्जू गुप्ता एडवोकेट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जनक कुमार की ओर श्री ऋषिपाल जोशी एडवोकेट ने अपनी लिखित बहस निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है :–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास, सादुलशहर के द्वारा चक 10 के.आर.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 की 0.886 हेक्टर कृषि भूमि में से दिनांक 06.05.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में एवं दिनांक 07.05.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में तथा इसी रोज श्रीमती प्रियंका के पक्ष में करवाये गये दस्तावेज बैयनामा के आधार पर किये गये नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध अपीलार्थी सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह व राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा अपील पेश की गई है।

1. अपील विधिक त्रुटीयों से ग्रसित होने के कारण प्रथमतः ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण ने दस्तावेज बैयनामा के आधार पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश से बैयनामा के आधार पर दर्ज की गई अपील श्रीमान जी न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण प्रथमतः ही काबिले निरस्ती है। अपीलार्थीगण की अपील नामान्तरण दर्ज होने के 10 वर्ष से अधिक समय की समयावधि व्यतीत कर अपील पेश की गई है, इसलिए अपील दर्ज होने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण ने विधिवत् रूप से प्रतिफल देकर पंजीबद्ध किये गये बैयनामा को किसी भी सिविल

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में चुनौती नहीं दी है ऐसी स्थिति में बैयनामा के आधार पर किए गए नामान्तरण के विरूद्व अपीलार्थीगण को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण ने ट्रस्ट को निःशुल्क भूमि देने के मिथ्या कथन पेश कर अपील पेश की है जबकि अपीलार्थीगण ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये बैयनामा भूमि विक्रय की है इसलिए भी अपीलार्थीगण की अपील काबिले निरस्ती है अपीलार्थीगण ने निःशुल्क दान दिये जाने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इसलिए अपीलार्थीगण की अपील काबिले निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधिवत् रूप से संयुक्त खाता में शिवकुमार पुत्र ओमप्रकाश से जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28.06.2006 के द्वारा 0.310 हैक्टर खरीद की गई भूमि में से 1 बीघा भूमि शिक्षा भवन व अन्य विकास कार्यो हेतू विक्रय कर ट्रस्ट के द्वारा शिक्षा भवन निर्माण व अन्य विकास कार्य किये गये तथा शिक्षा भवन मौका पर चल रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील प्रथमतः ही काबिले निरस्ती है।

2. **अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व की गई अपील मियाद बाहर होने के कारण काबिले निरस्ती है।**

चक 10 के.आर.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 की 0.886 हैक्टर कृषि भूमि नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 को पंजीकृत बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश की दिनांक से अपील पेश करने की समयावधि 30 दिवस निर्धारित है लेकिन अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही विक्रय की जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर 10 वर्ष बाद यानि दिनांक 15.02.2025 को अपील पेश की गई तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतू धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में देरी का कोई पर्याप्त व सद्भावी स्पष्ट कारण भी अंकित नहीं किया गया है इसलिए अपील मियाद अधिनियम के तहत प्रारम्भतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

3. **रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 4 की भूमि का अपीलार्थीगण से कोई सम्बन्ध नहीं है:–**

यह कि सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास (रेस्पोडेन्ट संख्या–1) द्वारा जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28.06.2006 के द्वारा शिव कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी सादुलशहर से चक 10 केआरडब्ल्यू के संयुक्त खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 की कुल कृषि भूमि में से 0.310 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की गई। उक्त बैयनामा के द्वारा खरीद की गई भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को विक्रय की गई जिसमें अपीलार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों पर पेश की गई अपील काबिले निरस्ती है।

4. **अपीलार्थीगण ट्रस्ट से किसी प्रकार से हितबद्व नहीं होने के कारण धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति लेकर अपील पेश करने का अपीलार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है :–**

अपीलार्थी संख्या 1 सुखदेव सिंह ने 60,000/– रूपये व अपीलार्थी संख्या 2 बलदेव सिंह ने 60,000/रूपये प्रतिफल राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास से यानि दोनो ने कुल 1,20,000/– रूपये की प्रतिफल राशि

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त कर श्रीमान उप पंजीयक, सादुलशहर के कार्यालय में दिनांक 10.04.2006 को जरिये बैयनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया गया तथा अपीलार्थी संख्या 3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र देवीलाल द्वारा 80,000/–रूपये की प्रतिफल राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से प्राप्त कर विधिवत् रूप से दिनांक 02.05.2006 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास के पक्ष में दस्तावेज बैयनामा पंजीबद्ध करवाया गया तथा इसी रोज कब्जा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सपुर्द कर दिये। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी भूमि ट्रस्ट को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर दिये जाने एवं बैयनामा पंजीबद्ध करवाये जाने के बाद विधिक अधिकारों का अन्तरण ट्रस्ट के नाम से दर्ज होने के बाद उस भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि क्रेता है यानि ट्रस्ट अपने द्वारा खरीद की गई सम्पति का इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने व विक्रय करने हेतू स्वतन्त्र है लेकिन अपीलार्थीगण के द्वारा अपील मीमो के पैरा संख्या–2 में अपने आपको निःशुल्क भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास के नाम करवाने के मिथ्या एवं मनगढ़त कथन अंकित करते हुए धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अनुमति चाही है जबकि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास से प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैयनामा करवाये जाने के कारण किसी प्रकार से हितबद्व नहीं है तथा ट्रस्ट के द्वारा अपने उद्देश्यो की पूर्ति हेतू किए जा रहे कार्यो के लिए अपीलार्थीगण को अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण ट्रस्ट के कार्यो में किसी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है, जिन्हें अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए अपीलार्थीगण की अपील काबिले निरस्ती है। उक्त नामान्तरण विधिवत् रूप से पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर दर्ज हुआ है, जिससे किसी पर भी कोई विपरीत असर नहीं है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थीगण किसी प्रकार से हितबद्ध एवं पीड़ीत नहीं है। अपीलार्थीगण उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने में अपने किसी विधिक अधिकार मुखरित करने में असफल रहे है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में करवाये गये बैयनामा दिनांक 07.04.2006 एवं बैयनामा दिनांक 01.05.2006 एवं बैयनामा दिनांक 28.06.2006 की प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।

5.अपीलार्थीगण द्वारा अपील क्लीन हैण्ड से पेश नहीं की गई है :–

अपीलार्थीगण का आश्य नेकनीयत नहीं है चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये दस्तावेज बैयनामा से किए गए विक्रय को मिथ्या व मनगढ़त तरीके से निःशुल्क देने के कथन अंकित करके अपने किसी बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतू एवं ट्रस्ट की सम्पति में अपना प्रभाव दिखाने के आश्य से एवं ट्रस्ट के विधिक कार्यो में दखलन्दाजी करने एवं अनुचित दवाब बनाने के आश्य से अपील पेश की है अपीलार्थीगण क्लीन हैण्ड नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण की अपील काबिले निरस्ती है। अपीलार्थीगण क्लीन हैण्ड से अदालत में नहीं आये है। अपीलार्थीगण का आश्य अनुचित दवाब बनाकर भूमि हडप करने एवं राशि बटोरने का है। अपीलार्थीगण ने मनमाना रवैया

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अन्नाकर अपील के विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पेश की है जो चलने योग्य नहीं है एवं सारहीन एवं विधि की दृष्टि में शुन्य है इसलिए भी अपील काबिले निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा ट्रस्ट में विकास व निर्माण कार्यो के लिए जायज आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए विधिवत् प्रस्ताव लेकर ट्रस्ट के प्रावधानों के अनुसार भूमि विक्रय की गई थी जिसमें अपीलार्थीगण को दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण ने चलत में लालचवश ट्रस्ट के विकास कार्यो एवं निर्माण कार्यो में दखलन्दाजी करने के आशय से मिथ्या व मनगढ़त तथ्यों पर अपील पेश की है इसलिए अपीलार्थीगण की अपील चलने योग्य नहीं है एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है।

6. **रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत बैयनामा विधिवत् है जिसके आधार पर किया गया नामान्तरण किसी प्रकार से निरस्ती योग्य नहीं है :–**

पंजीकृत बैयनामा के आधार पर हुए नामान्तरण को निरस्त करने का कोई विधिक आधार दर्शित नहीं किया गया है विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक पंजीकृत बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक नामान्तरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। सम्पूर्ण अपील में अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई विधिक आधार वर्णित नहीं किया है जिससे रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सादलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास द्वारा किया गया बैयनामा विधि विरूद्ध हो, रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जनकराज के पक्ष में पंजीबद्ध करवाये गये बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को 10 वर्ष 10 माह का समय हो चुका है तथा रेस्पेडेंट संख्या–4 अमरजीत सिंह द्वारा प्रियंका पत्नी विकास कुमार से खरीद किये गये बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को भी 10 वर्ष 10 माह से अधिक का समय हो चुका है उक्त समयावधि में कोई भी सिविल या फौजदारी कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है जिसके आधार पर बैयनामा विधि विरूद्ध होने के तथ्य उजागर हो। बैयनामा विधिवत् रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पंजीबद्ध होने एवं उक्त बैयनामा एवं उसके आधार पर किए गए नामान्तरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 विधिवत् रूप से काबिज है जो पूर्णतः विधिवत् है तथा अपील में विधि विरूद्ध आदेश होने का कोई बिन्दु उजागर ही नहीं किया गया है इसलिए अपील काबिले निरस्ती है।

7. **काल्पिनिक एवं मनगढ़त कहानी बनाकर अपील पेश की गई है :–**

ट्रस्ट के द्वारा विकास व निर्माण कार्यो के विधिवत् प्रस्ताव लेकर ट्रस्ट के नियमों के अनुसार ट्रस्ट की मामूली भूमि जायज आवश्यता को मध्यनजर रखते विक्रय की गई उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण ने उक्त अपील काल्पिनिक एवं मनगढ़त कहानी बनाकर अपने आपको सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में समाज के हित में व शिक्षा उत्थान के कार्यो को पिछले कई वर्षो से करने एवं अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा शिक्षा हित में वर्ष 2006 में चक 10 केआरडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 31 व 39 की 0.620 हेक्टर कृषि भूमि व अपीलांट संख्या 3 द्वारा 0.348 हैक्टर कृषि भूमि सादुलशहर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास को निःशुल्क रोबरू गवाहान देने के मिथ्या कथन करते हुए पेश की गई है।

यहां यह उल्लेख करने योग्य है कि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास को निःशुल्क रोबरू गवाहन देने के कथन मिथ्या एवं मनगढ़त अपील का आधार बनाने के आश्य से दर्ज किये गये है जबकि सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 सुखदेव सिंह व अपीलार्थी संख्या 2 बलदेव सिंह को प्रतिफल राशि देकर उक्त भूमि खरीद की हुई है एवं दस्तावेज बैयनामा दिनांक 28.06.2006 द्वारा शिवकुमार पुत्र ओमप्रकाश से खरीद की गई है, उसमें से 1 बीघा भूमि का बेचान विधिवत् रूप से सर्वसहमति से प्रस्ताव लेकर बिल्डिंग निर्माण हेतु किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को ट्रस्ट के कार्यो में Interfere करने का कोई हक नहीं है। ट्रस्ट अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू कय, विकय करने हेतू स्वतन्त्र है। अपीलार्थीगण की अपील मिथ्या व मनगढ़त तथ्यों पर होने के कारण काबिले निरस्ती है।

8. <u>रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जनकराज एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 अमरजीत सिंह सद्भावी क्रेता है:–</u>

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जनकराज ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास, सादुलशहर चक 10 के.आर.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के तत्कालीन खाता संख्या 94/68 की 1.278 हैक्टर में से 0.126 हैक्टर कृषि भूमि ट्रस्ट प्रन्यास की आम सभा दिनांक 05.04.2025 में सर्वसहमति से लिये गये प्रस्ताव अनुसार अधिकृत व्यक्ति वकीलचन्द से जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को विधिवत् रूप से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर रोबरू गवाहान बैयनामा श्रीमान उप पंजीयक , सादुलशहर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाकर खरीद की है एवं इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–4 के पूर्व मालिक प्रियंका पत्नी विकास कुमार ने 0.127 हैक्टर भूमि खरीद की है जिसका बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को विधिवत् रूप से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर रोबरू गवाहान श्रीमान उप पंजीयक, सादुलशहर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाकर खरीद की है एवं उक्त खरीद की दिनांक से कब्जा प्राप्त किया तथा अब 10 वर्ष से भी अधिक समय से उक्त भूमि का उपयोग कर रहे है एवं प्रियंका पत्नी विकास कुमार से 0.127 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने जरिये बैयनामा दिनांक 01.02.2022 द्वारा खरीद कर ली है तथा उक्त दिनांक से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 विधिवत् रूप से काबिज है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 सद्भावी क्रेता है।

यहां यह भी उल्लेख करने योग्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती रेखा द्वारा जरिये बैयनामा ट्रस्ट से खरीद की गई भूमि 0.253 हैक्टर का दस्तावेज दानपत्र दिनांक 18.10.2019 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सादुलशहर शिक्षा ट्रस्ट प्रन्यास सादुलशहर को दान दे चुकी है जिसका दानपत्र श्रीमान उप पंजीयक , सादुलशहर के कार्यालय में दिनांक 18.10.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 520 पृष्ट संख्या 48 कम संख्या 201903414103352 पर पंजीबद्ध है उक्त बैयनामा की प्रतिलिपी सलंग्न अपील है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील संव्यय खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील लिखित बहस निम्नानुसार पेश की :–

1. यह कि श्रीमान जी अपीलांट्स अपील के शीर्षक में वर्णित पते के स्थाई निवासी है तथा पेशे से काश्तकार है। अपीलांट्स सादुलशहर क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में समाज के हित में व शिक्षा उत्थान के कार्यो को पिछले कई वर्षो से करते चले आ रहे है। अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा शिक्षा हित में वर्ष 2006 में चक 10 केआरडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 31 व 39 की कुल 0.620 हैक्टेयर कृषि भूमि व अपीलांट संख्या 3 द्वारा 0.348 हैक्टेयर कृषि भूमि सादुलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास को निःशुल्क रोबरू गवाहान दी गई जिसकी कोई भी राशि अपीलांटगण द्वारा ट्रस्ट से प्राप्त नहीं की गई।
2. यह कि श्रीमान जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ट्रस्ट सादुलशहर शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष महावीर भादू द्वारा अविधिक तरीके से दिनांक 05.04.2015 को प्रस्ताव संख्या–3 डालकर यह कहते हुए कि ट्रस्ट के नाम की चक 10 के.आर.डब्ल्यू के खाता संख्या 94/68 के पत्थर नम्बर 79/129 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1/2 में 0.228 हैक्टर किला नम्बर 10 में 0.253 हेक्टर, किला नम्बर 11 में 0.164 हैक्टर , पत्थर नम्बर 78/129 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5/2 में 0.228 हैक्टर , किला नम्बर 6 में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15 में 0.152 हैक्टर कुल 1.278 हैक्टेयर में से 0.886 हैक्टेयर यानि 3 बीघा 10 बिस्वा रकबा के बेचान हेतु ट्रस्ट के सचिव वकील चन्द पुत्र भागीरथ जाति अग्रवाल निवासी सादुलशहर को अधिकृत किया। प्रस्ताव की कॉपी सलंग्न है।
3. यह कि श्रीमान जी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष व सचिव वकील चन्द द्वारा ट्रस्ट के नाम की उक्त कृषि भूमि का बेचान सचिव वकील चन्द द्वारा अपनी धर्मपत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से बैयनामा दिनांक 06.05.2015 को करवाया गया, दूसरा बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को सचिव वकील चन्द द्वारा अपने रिश्तेदार जनक कुमार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम व तीसरा बैयनामा दिनांक 07.05.2015 को अपने रिश्तेदार श्रीमती प्रियंका पत्नी श्री विकास कुमार के नाम से करवाया गया तथा प्रियंका द्वारा दिनांक 01.02.2022 को उक्त कृषि भूमि रेस्पेडेन्ट संख्या 4 के नाम से बेचान कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपस में मिलकर ट्रस्ट की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया गया है।
4. यह कि श्रीमान जी अपीलांटगण को इस बात का ज्ञान फरवरी 2025 में हल्का पटवारी से पता करने पर प्राप्त हुआ, उसके बाद तमाम दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हासिल करने के बाद रेस्पोडेन्टगण से रोबरू पंचायत बात की गई कि आप द्वारा ट्रस्ट की कृषि भूमि का बेचान बिना किसी आवश्यकता के अपने को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के आश्य से अपनी धर्मपत्नी व अन्य रिश्तेदार के नाम से करके ट्रस्ट को करोड़ो रूपये का घाटा पहुंचाया है, तो रेस्पोडेन्ट के द्वारा पंचायत में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे से गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त करवाने बाबत् इन्कार हो गये। श्रीमान जी रेस्पोडेन्टगण द्वारा मियाद

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई भी जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही किसी प्रकार से मियाद अधिनियम के तथ्यों का खण्डन किया गया है। इस प्रकार अपीलांट्स का मियाद अधिनियम के धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. यह कि श्रीमान जी अपीलाधीन आदेश इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 जब हल्का भू–अभिलेख हल्का करड़वाला के पास वास्ते निरीक्षण पेश हुआ तो भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 19.08.2015 को " **हल्का पटवारी रिपोर्ट व पटवारी हल्का के साथ दिनांक 19.08.2015 को मौका निरीक्षण व रजिस्ट्रयों की प्रकृति तथा दिनांक 28.04.2011 के सर्कूलर के तहत इन्तकाल खारिज योग्य है।** " इसके बाद उक्त अपीलाधीन इन्तकाल ग्राम पंचायत करड़वाला के सरपंच हरदीप कौर के समक्ष दिनांक 06.10.2015 को पेश हुआ। सरपंच द्वारा इन्तकाल स्वीकृत ना कर निर्णय हेतु तहसीलदार महोदय को भिजवाया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाए, लैण्ड रिकॉर्डस के नियमों का पालन किये अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत कर रेस्पोडेन्टगण को लाभ पहुंचाया है, इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 खारिज होने योग्य है।

6. यह कि श्रीमान जी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया है, इसलिए भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है।

7. यह कि श्रीमान जी अपीलांटगण सादुलशहर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षा उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के कारण उक्त आदेश से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है, इसलिए कानूनी रूप से अपीलांटगण को अपील करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक है जिसके लिए अलग से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा धारा 96 सीपीसी का कोई जवाब पेश नहीं किया है और ना ही तथ्यों का खण्डन किया है, इसलिए 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

8. यह कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलांटगण के हक में बाखुबी साबित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश करके निवेदन है कि अपीलांटगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलकृत इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 402 दिनांक 12.12.2015 जो स्वीकृत किया गया है वह रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सादलशहर शिक्षा विकास ट्रस्ट प्रन्यास द्वारा किये गये बैयनामो के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिस पर गिरदावर करड़वाला द्वारा यह नोट अंकित किया है "**रजिस्ट्रीयों की प्रकृति**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

तथा दिनांक 28.04.2011 के सर्कुलर के तहत इन्तकाल खारिज योग्य है'' एवंम इन्तकाल के कॉलम संख्या 16 में यह भी अंकित किया गया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेशानुसार बैयनामा का इन्तकाल दर्ज कर जांच एवं निर्णय हेतु सेवा में प्रेषित है। उपखण्ड अधिकारी का क्या आदेश है किसी भी पक्षकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की कोई प्रति पेश नहीं की गई, साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत करड़वाला द्वारा इन्तकाल दर्ज करने हेतु पेश होने पर इन्तकाल स्वीकृत ना कर पुनः तहसीलदार सादुलशहर को इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रेषित किया गया है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उक्त इन्तकाल पर अंकित किया है कि प्रकरण की सुनवाई की गई इन्तकाल स्वीकृत किया जाता है। उक्त समस्त कार्यवाही सन्देहास्पद प्रतीत होती है, जो एक जांच का विषय है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों की पुनः सुनवाई की जाकर लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की पूर्ण पालना करते हुए इन्तकाल स्वीकृत करने की अग्रिम कार्यवाही करें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner